फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री कालुराम पिता छीतरमल गुर्जर, निवासी भचरडिया, पो0 कुन्दवा तह0 देवगढ़ जिला राजसमंद
– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 11/2021**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 23.03.2021 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लो0सू0 अधिकारी जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांक :– सू.का अधि0/2020–21/1087 दिनांक 15.03.2021 से रिपोर्ट प्रेषित होकर प्राप्त हुई हैं। लो0सू0 अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द की उक्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी श्री कालूराम गुर्जर का आर. टी.आई. आवेदन दिनांक 05.01.2021 का कार्यालय को दिनांक 15.01.2021 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा आर.टी.आई. आवेदन से बिन्दु संख्या 01 से 02 की सूचना चाही गई जो कि अवलोकन करने पर विस्तृत सूचना होने से प्रार्थी को दिनांक 21.01.2021 को प्रातः 11 बजे व्यक्तिशः कार्यालय में उपस्थित होकर सूचना का अवलोकन कर अपने हितबद्ध की सूचना हेतु पत्रांक 30 दिनांक 15.01.2021 को प्रार्थी को लिखा गया एवं सूचना रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई गई। प्रार्थी दिनांक 21.01.2021 को कार्यालय में उपस्थित नही हुआ एवं प्रार्थी द्वारा दिनांक 24.01.2021 का डाक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि आपके कार्यालय का पत्र 15.01.2021 का मुझे 22.01.2021 को प्राप्त हुआ एवं बिन्दु सं. 01 से 02 तक की सम्पूर्ण सूचना मुझे प्रदान कराई जावें एवं जितनी भी राशि बनती हैं। वह जमा कराने के लिए तैयार हूँ एवं मांग पत्र भेजे जाने हेतु लिखा गया हैं। प्रार्थी श्री कालूराम गुर्जर को पुनः इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 91 दिनांक 28.01.2021 से पत्र लिखा जाकर बीपीएल होने के दस्तावेज साथ लाने एवं व्यक्तिसः उपस्थित होने हेतु दिनांक 09.02.2021 को प्रातः 11 बजे कार्यालय में उपस्थित होने हेतु लिखा गया जो कि सूचना रजिस्टर्ड भिजवाई गई। प्रार्थी/आवेदक नियत समयावधि में भी उपस्थित नहीं हुआ एवं प्रार्थी द्वारा डाक द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 03.02.2021 को इस कार्यालय में प्रस्तुत कर बताया कि मेरे द्वारा चाही गई सूचना मेरे हितबद्ध की हुई तो वह मै रख लूंगा तथा मेरे हितबद्ध की नहीं हुई तो मैं कार्यालय में जमा करा दूंगा एवं मेरे आने जाने का खर्च 1000 रू होता है एवं	

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

राशि का मांग पत्र भेजने हेतु निवेदन किया प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर प्रार्थी ने चाही गई सूचना अपने हितबद्ध की होना बताया एवं दि जाने वाली सभी सूचना की शुल्क राशि जमा कराने को प्रार्थी तैयार है एवं आवेदक नियत समयावधि में इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ एवं ना ही बी.पी.एल. होने के दस्तावेज इस कार्यालय को भिजवाए, अभिलेख पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार सूचना की गणना कर प्रार्थी को शुल्क राशि जमा कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक 659 दिनांक 11.02.2021 को राशि रू 5128/— जमा कराने हेतु डाक रजिस्टर्ड भिजवाई गयी एवं ईमेल से प्रार्थी को सूचित किया गया। प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक राशि, इस कार्यालय में जमा नहीं कराई गयी है। प्रार्थी ने अपने अपील आवेदन में यह अंकित किया कि मुझे शुल्क राशि का पत्र विलम्ब से प्राप्त हुआ है इस सन्दर्भ में प्रार्थी के आरटीआई आवेदन में बीपीएल होना अंकित किया था इसका कारण से एवं जो सूचना प्रार्थी द्वारा चाही गई वो काफी विस्तृत सूचना होने से प्रार्थी को अपने हितबद्ध की सूचना निशुल्क प्राप्त करने हेतु कार्यालय द्वारा प्रार्थी से पत्राचार किया गया पत्राचार से प्रार्थी बी.पी.एल. होते हुए भी सारी सूचना सशुल्क प्राप्त करना चाहने से वांछित अभिलेख को इकठ्ठा करना एवं उसकी गणना करने के पश्चात् प्रार्थी को कार्यालय द्वारा चाही गई सूचना के पृष्ठों की संख्या एवं उसकी निर्धारित शुल्क राशि बताई गई। इस प्रकार कार्यालय पत्राचार एवं प्रार्थी के द्वारा पत्राचार करने से उनके बताये अनुसार राशि जमा कराने को देखते हुए आरटीआई की धारा 7 3(क) के तहत कार्यवाही की गई प्रार्थी से कार्यालय द्वारा चाही गई सूचना के कुल पृष्ठ 2564 नियमानुसार वांछित सूचना के दो रूपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से 5128 रूपये प्रार्थी कार्यालय में जमा करा दे तो प्रार्थी को चाही गई वांछित सूचना तैयार कर उपलब्ध करवाई जा सकती हैं।

लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के संदर्भ में अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित राशि 5128 रूपये जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द के राजकोष में जमा कराकर वांछित सूचना प्राप्त करें। अतःउक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती हैं।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)